



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272510
CG-DL-E-13052026-272510

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2318]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2318]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2410(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की उस अधिसूचना में, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट है, उसी सारणी के संगत स्तंभ (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या और दिनांक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	एस.ओ. 410 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2002	उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में— (क) "जिला राजस्व अधिकारी, जिला कलेक्टर का कार्यालय, कलेक्टरेट परिसर, मदुरै" प्रविष्टि के स्थान पर "विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, मदुरै" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना एस.ओ. 410 (ई) दिनांक 11 अप्रैल, 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 11 अप्रैल, 2002 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. NHAI/11015/49/2001/LA/Trichy]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2410(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 3 of the National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, specified in column (2) of the table below in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said table.

Serial Number (1)	Notification number and date (2)	Amendment (3)
1	S.O. 410 (E), dated the 11th April, 2002	In the preamble to the said notification,- a) for the entry “District Revenue Officer, Office of the District Collector, Collectorate Complex, Madurai” shall be substituted as “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Madurai.”

Foot Note: The Principal notification was published vide S.O. 410 (E) dated 11th April, 2002, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii), dated 11th April, 2002.

[F. No. NHAI/11015/49/2001/LA/Trichy]

SHAIKH AMINKHAN, Director